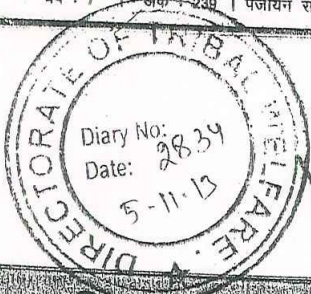


अंडमान एक्सप्रेस

सब का आईना

तार : 7 | अंक : 239 | पंजीयन सं. RNI - ANDHIN/2007/21285 | पोर्ट ब्लेयर | बुधवार | 30 अक्टूबर 2013 | मूल्य : रु 2/-



मु.म. का भोपनीय अनुमान

CHS Confidential Cell

फाइल नं./RD No. 6903

दिनांक/Date 31/10/13

आदिवासी युवतियों के वीडियो के मामले के उजागर से मचा हड़कम्प - जांच कमेटी गठित

पोर्ट ब्लेयर 30 अक्तूबर। दीपा में पिछले कई सालों से अश्लील वीडियो फिल्मों का मामला प्रकाश में आता रहा है। परन्तु आज तक इस संबंध में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।

इस अश्लील वीडियो फिल्म के चलते कई परिवार बर्बाद तक हो चुके हैं। परन्तु अभी हाल ही में एक स्थानीय साप्ताहिक पत्र ने इस संबंध में खबर प्रकाशित किया, जिसमें जनजाति युवतियों के अश्लील वीडियो के मामले को प्रकाश में लाए जाने के चलते उप राज्यपाल के निर्देश के चलते इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे प्रकरण में कुछ

अपराधिक मानसिकता स्तर के लोगों का एक संगठित गिराह इस प्रकार के कार्य में लिप्त है जो कि गोली-गोली युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं की अश्लील वीडियो गोपी करके सीडी को बाजारों में बेचते हैं।

अब जरूरत इस बात की है कि स्थानीय पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले शहर के जितने भी सीडी और वीडियो ग्राफी से संबंधित दुकानदार हैं, उनसे कड़ी पूछताछ की जाए और इस मामले में जो भी अपराधी पाया जाता है, उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए।

इस बीच इसी संबंध में अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पोर्ट ब्लेयर की केन्द्रीय

अपराध शाखा की पुलिस थाना में 26 अक्टूबर 2013 को आईटी (अमेडेंट) एक्ट 2008 की धारा 67ए में पड़ जाते वाली भारतीय दंड संहिता की दफा 292 के तहत अपराध संख्या 702/13 के द्वारा नियमित अपराधिक

है कानूनी प्रावधान के मुताबिक सीआईडी के पुलिस उप अधीक्षक को जांच का जिम्मा सौंपा गया है।

गौरतलब है कि मानव अधिकार वीडियोज ऑफ द्राइबल गलत जानकारी दे रहे हैं।

रजिस्ट्रेशन कोर्ट ने पिछले शेषक से विशेष अखबार में छपी खबर की वास्तविकता जानने के लिए जांच अधिकारी का सहयोग देने के वारंट विशेष जांच दल की गठन किया गया है। सीआईडी के पुलिस अधीक्षक द्वारा यह जांच जारी है।



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including 'A.C.C.T.W.', 'A.C.C.T.W.', and 'A.C.C.T.W.' with various initials and dates like '19-11-13'.